मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (फाल्गुन 9, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख.

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये :-

(1) श्री ओ.पी. कोहली, मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल,
(2) श्री सखाराम देवकरण पटेल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) श्रीमती नंदा मण्डलोई, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(4) श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री झनक लाल ठाकुर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(6) श्री राधेश्याम शर्मा, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(7) श्री भागवत भाऊ नागपुरे, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(8) श्री शरद यादव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, तथा
(9) श्री शांति भूषण, पूर्व केन्द्रीय मंत्री.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.31 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.43 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3 एवं 4) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 89 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 110 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत विकास कार्यों में जानबूझकर अवरोध पैदा किये जाने,
(2) डॉ. सतीश सिंह सिकरवार, सदस्य की अम्बाह ब्रांच कैनाल के ग्राम नंदपुरा नहर पर बनी क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराये जाने,
(3) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की आदिवासी छात्रावास का उन्नयन एवं निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने,
(4) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की भोपाल नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग इटारसी-औबेदुल्लागंज मार्ग पर पेंचवर्क अच्छी तरह से न किये जाने,

(5) श्री.पी.सी. शर्मा, सदस्य की दक्षिण पश्चिम भोपाल के शासकीय आवासों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से न किये जाने,

(6) श्री सुनील सराफ, सदस्य की विभाग में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को कई माह से मानदेय का भुगतान न मिलने,

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उन्यन किया गया हायर सेकेन्ड्री स्कूल रजाखेड़ी हेतु स्वीकृत भवन का निर्माण न कराये जाने,

(8) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य की उज्जैन के विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन का मुख्य मार्ग पर अधूरे पड़े नाले के निर्माण को पूर्ण कराये जाने,

(9) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की नगरीय निकाय की आंगनबाड़ियों में आशा कार्यकर्ताओं के पद सृजन कराये जाने तथा

(10) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन संभाग नागदा-खाचरौद क्षेत्र के अनेक गांवों में नीलगायों के आतंक से किसानों की फसलों का भारी नुकसान होने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बधाई

श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य द्वारा सदन में श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई.

(2) श्री अर्जुन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री की मूर्ति का अनावरण किया जाना

श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य ने उल्लेख किया कि विन्ध्य के सपूत कुंवर अर्जुन सिंह पूरे देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, उनकी मूर्ति पर भोपाल में लगातार कई वर्षों से कपड़ा लपेटा हुआ है. आपसे आग्रह करना चहता हूँ कि उस मूर्ति का लोकार्पण की तिथि तय कर उस मूर्ति का अनावरण किया जाये. वह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे है.

5. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पटल पर रखा.

6. दिसम्बर, 2022 सत्र की स्थगित बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-12 पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर, 2022 सत्र की स्थगित बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-12 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

7. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 11 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 27 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 28 सन् 2022
2.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2023
3.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 26 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2023
4.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2023
5.	मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2022 (क्रमांक 25 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2023
6.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 24 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2023
7.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 30 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2023
8.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2023
9.	मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 29 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2023
10.	मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 23 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2023
11.	मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 28 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2023

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2023 को सम्पन्न हुई, जिसमें "मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण विधेयक, 2023" पर चर्चा के लिए 1 घण्टे का समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई तथा

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ग्रीन बजट के रूप में डिजिटल फार्मेट में प्रस्तुत करने तथा सदस्यों को आय-व्ययक संबंधी साहित्य डिजिटल फार्मेट में टेबलेट (आई-पैड) में प्रदाय किये जाने संबंधी सहमति दी गई.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयक पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने एवं बजट प्रस्तुति करण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य ने प्रदेश के विकासखण्ड मुख्यालयों पर बंद पड़े मिट्टी परीक्षण केन्द्रों को संचालित न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री कमल पटेल ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री भूपेन्द्र मरावी, सदस्य ने जबलपुर एवं रीवा संभाग में ओपन कैप में रखे अनाज के रख रखाव में अनियमितता होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री बिसाहूलाल सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

11. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 182-बड़वाह से निर्वाचित सदस्य, श्री सचिन बिरला को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2023 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

12. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री लक्ष्मण सिंह
(2) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(3) श्री कांतिलाल भूरिया
(4) श्री दिव्यराज सिंह
(5) श्री हरिशंकर खटीक
(6) श्री देवेन्द्र वर्मा

13. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री निलय विनोद डागा (जिला-बैतूल)
(2) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(3) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(4) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(5) श्री भूपेन्द्र मरावी (जिला-डिण्डौरी)

14. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 27 फरवरी, 2023 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, प्रस्तावक सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों की ओर से संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. संशोधन विस्तृत स्वरूप के हैं, इसलिए पूरे संशोधनों को न पढ़कर केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूँगा. जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(1)	श्री संजय यादव	1
(2)	श्री आरिफ मसूद	2
(3)	श्री रविन्द्र सिंह तोमर "भिड़ौसा"	3
(4)	श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव	4
(5)	श्री विनय सक्सेना	5
(6)	श्री कमलेश्वर पटेल	6
(7)	श्री पी.सी. शर्मा	7
(8)	श्री प्रियव्रत सिंह	8

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(9)	श्री कुणाल चौधरी	9
(10)	श्री आरिफ अकील	10
(11)	श्री मुरली मोरवाल	11
(12)	श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल	12
(13)	श्री पांचीलाल मेड़ा	13
(14)	डॉ.अशोक मर्सकोले	14
(15)	श्री आलोक चतुर्वेदी	15
(16)	श्री सुनील सराफ	16
(17)	श्री रामलाल मालवीय	17
(18)	श्री प्रताप ग्रेवाल	18
(19)	कुंवर विक्रम सिंह "नातीराज"	19
(20)	श्री लक्ष्मण सिंह	20
(21)	श्री दिलीप सिंह गुर्जर	21
(22)	श्री बाला बच्चन	22
(23)	श्री मुकेश रावत (पटेल)	23
(24)	श्रीमती कल्पना वर्मा	24

सभापति महोदय (श्री हरिशंकर खटीक) पीठासीन हुए.

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

(2) श्री कमलेश्वर पटेल
(3) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(4) श्री प्रियव्रत सिंह

(अपरान्ह 1.33 बजे से 3.10 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

15. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

(5) श्री दिलीप सिंह परिहार
(6) श्री संजय यादव
(7) श्री जालम सिंह पटेल
(8) डॉ. अशोक मर्सकोले
(9) श्री हरिशंकर खटीक

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

(10) श्री कुणाल चौधरी
(11) श्री जजपाल सिंह
(12) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(13) श्री आशीष गोविन्द शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(14) श्री पी.सी. शर्मा

16. बहिर्गमन

श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य द्वारा अपने भाषण के बाद विकास यात्रा में कागजात फाड़े जाने एवं बोर्ड हटाये जाने के विरोध में सदन की अधिकारी टेबल पर कुछ अभिलेख रखे गये. तत्पश्चात् उनके साथ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

17. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

(15) कुं. प्रद्युम्न सिंह लोधी
(16) श्रीमती झूमा सोलंकी

पूर्वाह्न 5.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2023 (10 फाल्गुन, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 28 फरवरी, 2023